



कथन

(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना-ईओडब्ल्यू रायपुर
अपराध क्रमांक-09/15

जिला-रायपुर।
धारा-109, 120(बी), 420 भा.द.वि.,
13(1)(डी)सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

आशीष सिंह ध्रुव उर्फ आशु पिता श्री अनिल सिंह ध्रुव आयु 21 साल निवासी-के0के0 रोड मौदहापारा, बजरंग मंदीर के पास, रायपुर मो0नं0-9669504760

—00—

पूछने पर बताया कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ तथा वर्तमान में बी0आई0टी0 कॉलेज केन्द्री रायपुर में बी0ई0 में अध्ययनरत हूँ। पूछने पर बताया कि अरविन्द सिंह ध्रुव स्टेनो टायपिस्ट नान मुख्यालय रायपुर इसके चाचा हैं। दिनांक 12.02.2015 को इसके पिता अनिल सिंह ध्रुव ने इसे बुलाकर कहा था कि तेरे चाचा जी का ऑफिस का पैसा है जिसको गिनना है इसके बाद मैं तथा पिता जी ने मिलकर पैसों की गिनती किये एक पैकेट में 10 लाख 95 हजार था तथा दूसरे पैकेट में 09 लाख रू0 था। गिनने के बाद इसके पिता जी अरविन्द सिंह ध्रुव के कमरे के दराज में रखे 5000/-रू0 को मिलाकर 20 लाख रू0 पूरा कर दिया एवं दो अलग अलग पैकेटों में 10-10 लाख रूपये रख दिया। करीब 12:00 से 12:15 के बीच अरविन्द सिंह ध्रुव का फोन मोबाईल नंबर-9669504760 पर आया जिसे इसके पिता जी ने रिसीव किया था। कुछ देर बाद करीब 12:30 से 01:00 बजे के बीच अरविन्द का फोन 9669504760 पर आया तब फोन इसने रिसीव किया था इसके बाद पैसों का बैग लेकर यह अपने घर से गया और अपने चाचा अरविन्द सिंह ध्रुव को देकर घर वापस आ गया।

ROAC, before me,

13/04/15
(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक / विवेचनाधिकारी
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर